

2023/301

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प -405-2)

प्रकरण संख्या 845/23

दिनांक 26.06.2023

उनवान

श्री रामलाल पिता भागुता बैरवा

बनाम


सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

-: आदेश :-


प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का टीकड़ भू.अ.नि. अमरवासी एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंषा अनुरार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम टीकड़ प. ह. टीकड़ की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 188 370 मे वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति / ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जानी हे।
1	प्रार्थी की जाति	रामलाल पिता भागुता चमार	रामलाल पिता भागुता बैरवा

प्रतिलिपि :-


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी रामलाल पिता भागुता बैरवा
- रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा